05-09-2014 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी संदीप कुसरे के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट अदम तामिल मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि के प्राप्त। आरोपी की मृत्यु दिनांक—05.08.2014 को हो चुकी है।

मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्शित आरोपीएवं प्रकरण में दर्शित आरोपी वही व्यक्ति होना पाया जाता है। अतः ऐसी दशा में प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति यामाहा मोटर सायकल बिना नम्बर की चेचिस कमांक—98 जे—115—193172 को पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा एटलस सायकल को संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा हिफाजत नामा पर झामनबाई पित अशोक, उम 35 साल निवासी कटंगी थाना मलाजखंड जिला बालाघाट को दिया गया है। उक्त हिफाजतनामा झामनबाई के पक्ष में समझा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर